SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी.गोहद

प्रकरण क्रमांक 05 / 2017

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र० ण

name, parentage, caste and address of accused-

नाम-बंटी पुत्र नाथूराम उम्र 30 वर्ष निवासी नूरगंज गोहद,जिला भिण्ड.

The offence complained of, and date of its alleqed commission ----

- 1. यह कि आपने दिनांक 10/1/17 को 20:10 बजे बस स्टेण्ड गोहद में अपने आधिपत्य के आटो क्रमाक एम.पी.30 आर—1409 को शराब पीकर मत्त अवस्था में चलाया ।
- 2. यहिक आपके पास उक्त दिनांक समय व स्थान पर आटो क्रमांक एम.पी.30 आर 1409 को चलाने का डायविंग लाईसेंस नहीं था।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्यं मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3 / 181</u> के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

THIST PAPE

आरोपी का अभिवाक्-

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 13/1/2017) को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को ामोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3/181</u> के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं <u>3/181</u> के अंतर्गत दोषसिद्धि टहराया जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत 1000/—रूपये के अर्थंदंड एवं अर्थंदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास तथा धारा 3/181 के अंतर्गत 500/—रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 07 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4. आरोपी स्वतंत्र हो।
- जप्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को वापिस किया जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-13/01/17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही 🖊

(प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद